



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 147 राँची, सोमवार 19 माघ, 1937 (श०)  
8 फरवरी, 2016 (ई०)

---

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

-----  
अधिसूचना

29 जनवरी, 2016

**संख्या-SUDA/AMRUT/Master Plan-18/2015- 553** --शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के अमृत शहरों में मास्टर प्लान एवं सिटी डेवलपमेंट प्लान रिफार्म के तहत GIS Mapping को Sub-Scheme के तौर पर लिया जाना है। यह योजना केन्द्र संपोषित के अंतर्गत स्वीकृत है जिसकी क्रियान्वयन अवधि मार्च 2016 से फरवरी 2017 तक होगी ।

झारखण्ड सरकार के अमृत शहरों को शहरी विकास मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुरूप लागू करने हेतु राज्य स्तरीय नोडर एजेंसी (SLNA) के रूप में " नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन " (TCPO) को नामित करते हुए नोडल पदाधिकारी के रूप में निदेशक " राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA)", नगर विकास एवं आवास विभाग को घोषित किया जाता है ।

अमृत योजना के इस Sub Scheme के कार्यान्वयन हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा ।

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) के रूप में नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर योजना के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी आवश्यक कार्यवाई की जायेगी ।

ओदश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड सरकार के असाधारण राजपत्र अंक में प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,  
अरूण कुमार सिंह,  
सरकार के प्रधान सचिव ।

-----